है। छः महीने वहां चावल का अकाल पड़ा रहा और चारों तरफ लोग भूखों मर रहे थे। आज भी वहां चावल की, वहां खुराक की हालत बहुत खराब है। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया है, उसका कोई भी जिक्र बजट के अन्दर नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस ओर भी आपका अविलम्ब ध्यान जाना चाहिये और बंगाल की चावल की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिये।

जहां तक पुलिस पर खर्च का सवाल है 1967-68 में पुलिस पर 16.11 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी जबकि 1968-69 में इसको बढ़ा कर 18.21 करोड़ कर दिया गया है। यह खर्चा क्यों बढ़ाया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के मातहत वहां 34 आदमी कैद हैं और 108 आदमियों के खिलाफ कोर्ट के वारंट हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सब को रिहा कर दिया जाना चाहिये। यह और भी जरूरी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनावों से पहले पहले इन सब को रिहा कर दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी डिमांड करता हूँ कि पश्चिमी बंगाल के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिये, उनको वापिस बुला लिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने बहुत ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार वहां किया है।

यह कहा जाता है कि बंगाल एक प्राब्लम स्टेट है। लेकिन इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर आप कारण में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदेशी पूंजी का फैलाव सब से पहले बंगाल में और असम में ब्रिटिश काल में हुआ था, ब्रिटिश कैपिटल का वहीं फैलाव हुआ था जबकि बम्बई और अहमदाबाद जैसे हिन्दुस्तान के भागों में देशी पूंजी का फैलाव हुआ था। दूसरे इलाकों में और बंगाल में बहुत फर्क है। कलकत्ता में एक मजदूर को बम्बई के मजदूर से कम वेतन मिलता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं। बम्बई में टैक्सटाइल मिल में मजदूर को निम्नतम वेतन दो सौ रुपया मिलता है जबकि बंगाल में 150 मिलता है। इंजीनियरिंग उद्योग में बंगाल के मजदूर को बम्बई के मजदूर के मुकाबले में पचास से सौ रुपया तक मासिक कम वेतन मिलता है। बंगाल में ट्रेड यूनियन को चालू रखना भी बड़ा मुश्किल है। जब वहां ब्रिटिश पूंजी मौजूद थी तब कहा जाता था कि क्लाइव स्ट्रीट रूल्ज दी होल आफ गवर्नमैंट आफ इंडिया। इसी वास्ते वहां पर हड़ताल करना बड़ा मुश्किल था। मुझ को दस बरस जेल में काटने पड़े हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सिलसिले में। बम्बई के मुकाबले में बंगाल इकोनोमिकली बहुत नीचे है, बहुत पीछे है। उसके मुकाबले में बंगाल बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका प्रधान कारण यही है कि वहां पर ब्रिटिश कैपिटल छाया रहा है। अगर बंगाल एक प्राबलैम स्टेट है तो इसका जो बुनियादी कारण है, उसमें आप जायें। अगर आप बुनियादी कारण की खोज करेंगे तो घेराव बुनियादी कारण नहीं है। घेराव इज़ नाट एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन। इट इज ए रिएक्शन। अगर बंगाल की स्थिति को आपको सुधारना है तो बुनियादी बात की तरफ आपको ध्यान देना होगा, जो वहां की बीमारी है, उसकी गहराई में जाना होगा और उसका कुछ इलाज करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं जो बजट रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

—

15.48 hrs.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव रखना है। मेरे ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है। इस विषय में आप भी काफी कुछ जानते हैं और कह भी चुके हैं। इसलिए आप दो मिनट मुझे देंगे तो स्थगन प्रस्ताव रखने का मैं कारण आपको बता दूंगा।

कारण यह है कि सरकार के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में कच्छ के मामले में जो बयान और हलफनामा दिया गया है, उसकी ओर आज दुपहर मेरा ध्यान गया है। यह आज मुझे दुप-

[श्री मधु लिमये]

हर दिया गया है। इस हलफनामे में दो तीन वाक्य सरकार के द्वारा अंडर सैक्रेट्री श्री रंगानाथन साहब ने ऐसे कहे हैं कि जिससे इस सदन का ही नहीं समुचे देश का घोर अपमान किया गया है। आप जानते ही हैं कि आपने भी स्वयं इस सवाल को यहां उठाया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कई बार इस सदन में कहा था कि जहां तक पाकिस्तान के दावे का सवाल है, इस दावे को हम कतई मंजूर नहीं करते हैं। शास्त्री जी का एक ही वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

"Pakistan today is laying claim to a large area......

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): On a point of order. Is it proper to raise it in this manner in the midst of another discussion, when the normal proceedings of the House are going on. Have you been consulted? Have you given your consent? I should like to know.

MR. CHAIRMAN: He wanted two minutes.

श्री मधु लिमये : कभी भी स्थगन प्रस्ताव उठाया जा सकता है। शास्त्री जी ने तो कहा था :

"...south of the Kutch-Sind boundary and north of 24th parallel. I want to state clearly and emphatically that we reject and repudiate these claims in their entirety."

28 अप्रैल 1965 को कहा है। अब उनकी सरकार विदेश मंत्रालय के अंडर सैक्रेट्री द्वारा कहती हैं :

"It is also denied that the territory which the tribunal has held to lie on the Pakistani side of the line of the boundary belonged to Kutch district of Gujarat State under the Bombay Reorganisation Act of 1960 and that it was recognised as Indian territory by the Constitution of India."

"A mistaken claim to territory which was in the adverse possession of India does not have the effect of converting such territory into territory of India and demarcation of the real boundary does not amount to cession of territory."

यह "एडवर्स पोजेशन" की बात भुट्टो साहब कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे। आप को याद होगा कि शास्त्री जी ने उस वक्त भुट्टो साहब का बयान कोट करते हुए उसका प्रतिवाद किया था।

"Then Shastriji quotes Mr. Bhutto's statement of 15th April, 1965 in which he says "the dispute has arisen because the disputed territory is in India's adverse possession."

पाकिस्तान की इस बात को प्रधान मंत्री शास्त्री जी काटते थे और कहते थे कि यह हमारा इलाका है, यह हमेशा हमारा प्रदेश रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब स्वयं सरकार और विदेश मंत्री की ओर से अंडर सेक्रेटरी, श्री रंगनाथन, हाई कोर्ट के सामने इस तरह का हलफनामा और बयान करते हैं, तो यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे स्थगन-प्रस्ताव पर दस पंद्रह मिनट बहस कराइये और बंगाल के बजट पर बहस को मुल्तती रखिये। बंगाल के बेरुबाड़ी क्षेत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी थी उस राय पर अमल न करने के हेतु अब सरकार अदालत में कह रही है कि यह हमारा प्रदेश नहीं है, इस लिए पाकिस्तान को देना चाहिए; संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लिए बेरुबाड़ी और बंगाल का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है।

मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे स्थगन-प्रस्ताव पर दस पंद्रह मिनट तक बहस कराइये।

SHRI K. NARAYAN RAO (Bobbili): Sir, I raise a point of order. The issue is before High Court and notice was also given to the Central Government. That being so, is *sub judice* now. I therefore plead that this should not be proceeded with and it should be dropped.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): It is not a question of *sub judice*. It is a very grave matter. It is the Government of Idnia making a statement on oath befor the High Court of the country whether this area belongs to us or not. The

Government of India is on record; the late Prime Minister is on record, and this House has decided that this area belongs to India. Now, a tribunal has given an perverse award and we are bound by certain commitments and that can be understood. But if the Government of now goes and says that "this area never belonged to us, this area was not part of Kucth, that it was under our adverse possession," that means we have given avay our entire case and we proclaim to the whole world that we are fools, that we are aggressors, that we are occupying the territory of Pakistan and their claim was right;

This amounts to bringing the whole country into disrepute and also playing with the frontiers of the country. A Government which makes such a statement in the High Court has no busines to exist for a single day. Therefore, I suggest that the business before the House should be adjourned and this discussion should be taken up.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, मेरी राय है कि वित्त मंत्री, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, शायद उस बात का उत्तर न दे सकें, जो श्री मधु लिमये ने उठाया है । अच्छा यह हो कि आप सरकार को कहें कि गृह-मन्त्री या प्रधान मन्त्री को सदन में बुलाया जाये और या तो अभी और या कल सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस का सम्बन्ध देश की सीमा सुरक्षा से है । प्रधान मंत्री या गृह मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य दें और उसके बाद यदि आप आवश्यक समझें, तो इस स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये । इस पूरे अधिवेशन में अभी तक कच्छ के सम्बन्ध में विस्तार से कोई चर्चा नहीं हो सकी है, सिवाये उस अविश्वास प्रस्ताव के, जो कुछ समय पहले श्री बलराज मधोक ने रखा था । केवल इसी प्रश्न पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । इसलिए आप जिम्मेदार मिनिस्टरों को बुलायें और उनके द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिए, वर्ना देश में तरह-तरह के सन्देह फैलेंगे ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I have to make a submission. The issue that has been raised by Mr. Madhu Limaye is a very serious one, because it has undone the very basis that India has taken not only with regard to Kutch but with regard to other boundary disputes also. the Congress party says that it has accepted the verdict of the Kutch award. It is not because they agreed to the whole logic of it, but because it was decided by the International Tribunal. But, here, the statement made by the Under Secretary of the External Affairs Ministry is so serious that all our arguments and all our logic have been undercut by the statements that he has made. Therefore, the matter is extremely serious. It not only uadermines the prastige of this House; as in this House the late Prime Minister Shastriji made the statement on behalf of the whole nation. Therefore, I wholeheartedly support the plea for an adjournment Motion that has been raised by my friend Mr. Madhu Limaye and I think the discussion on the West Bengal demands for grants should be postponed and the discussion on this point made by Mr. Madhu Limaye be continued.

MR. CHAIRMAN : I understand the gravity of the situation and the points made on the floor of the House by hon. members just now. I would ask the Prime Minister who has just come back to explain the situation after the West Bengal budget has been discussed. We are going to finish the West Bengal budget today. After that, this can be taken up. At least there can be a statement made by the Prime Minister or the External Affairs Minister, Mr. Bhagat, explaining the position

श्री मधु लिमये : आप का निर्णय ठीक है हम कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहते । लेकिन कुछ होना चाहिए । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

---

15 56 hrs.

DEMAND FOR GRANTS (WEST-BENGAL), 1968-69—Contd.

SHRI C. K. BHATTACHARYA (Raiganj) : Sir, in the discussion on the West Bengal budget, friends from both sides have referred to many of the problems which have come before the administration under the Governor's rule and which are also standing social problems in the State. I shall try to confine myself to one particular problem—the